

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक नं. 10119/1913

दिनांक :- 28-06-2018

कार्यालय आदेश

श्री/श्रीमती / सुश्री दीपक कुमार मीना [लिंक नं. 10119] कनिष्ठ लेखाकार (प्रोबेशनर) कार्यालय निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर - [956] जिनकी जन्म तिथि 25/04/1992 है, का दिनांक 29/04/2018 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 29/04/2018 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प. 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री दीपक कुमार मीना के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।

(मंजुला वर्मा)

निदेशक

क्रमांक :- एफ.4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक नं. 10119/1913

दिनांक :- 28-06-2018

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर
2. संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, क्षेत्रीय कार्यालय
3. निबन्धक, राजस्व मंडल, अजमेर
4. कोषाधिकारी अजमेर
5. श्री/श्रीमती पति / पत्नी ~~श्री~~ श्रीमती /श्री प्रियंका नेवला, गाँव गुवारकी पोस्ट हुरला, तह.- महवा जिला दौसा पिनकोड 321608 राजस्थान।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / चरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा

(शिल्पी कौशिक)
अतिरिक्तनिदेशक
(कार्मिक III)